पत्रांक 1821

कार्यालय अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, रॉंची।

प्रेषक,

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, रॉंची।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद,
आदित्यपुर।

रॉंची, दिनांक– 15/4/15

प्रसंग :– आपका पत्रांक–233 दिनांक– 10.02.15

बिषय :– मेसर्स कामधेनु सीटी होम्स, बिल्डर्स प्रा0 लि0, निदेशक–परमजीत सिंह सिन्धु, पिता– श्री हरनेक सिंह सिन्धु के खाता नं0–(नया) 178, 182, 181, (पुराना) 48, 52, मौजा–कुलुपटंगा, प्लॉट नं0–(नया) 1524, 1526, 1528, 1530, 1525, 1527, 1531, (पुराना) 720, 740, 639, 721, थाना नं0–130 आदित्यपुर में प्रस्तावित भवन निर्माण में अग्नि सुरक्षा संबंधी सलाह के सबंध में।

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार निर्मित होनेवाले प्रस्तावित भवन के लिये अग्नि सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :–

1. प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।
2. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 1,00,000 ली0 का अण्डर ग्राउड स्टेटिक वाटर टैंक का निर्माण निर्दिष्ट स्थान पर कराया जाय।
3. प्रस्तावित दोनों ब्लॉक के उपर 20000 ली0 क्षमता का एक–एक अदद ओभर हेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. 2280 ली0/मि0 का एक शक्तिशाली पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जो पूरे सिस्टम में जलापूर्ति कर सके।
5. प्रस्तावित दोनों ब्लॉक के उपर 450 ली0 प्रति मि0 क्षमता वाला एक–एक अदद टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
6. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्पिंग व्यवस्था रखी जाय।
7. सीढ़ीयों को Enclosed staircase के रूप में निर्मित किये जायें।
8. प्रस्तावित भवन में एक अदद फायर लिफ्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसकी क्षमता 540 कि0ग्रा0 से कम न हो।
9. प्रस्तावित भवन की Wiring व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही करायें जाय।
10. N.B.C के नियम के अनुसार भवन के सामने वाले भाग में सीढ़ी टॉवर एवं खुली जगह हमेशा उपलब्ध रखी जाय।

(शेष अगले पृ0 पर....)

6

11. भवन के सभी बालकोनी को पूर्णतः खुला रखने की व्यवस्था की जाय ।

12. भवन में प्रति 400 वर्ग फीट के लिए एक की दर से एक–एक अदद DCP Extinguisher 10Kg. रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

13. प्रस्तावित भवन के सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में बाधित न किया जाय, ताकि Fire Tender का Movement आसानी से हो सके।

14. भवन के सभी बालकोनी को पूर्णतः खुला रखने की व्यवस्था की जाय।

15. भवन में तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

16. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान (Hard and Soft copy) में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेगें साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले एक शपथ पत्र समर्पित करेगें कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का अक्षरशः अनुपालन किया गया है।

17. अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जॉच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेगें।

18. प्रस्तावित भवन निर्माण के किसी भी भाग में यदि बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करें।

19. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

20. प्लान की प्रतियॉ सुझाव के साथ हस्ताक्षर कर वापस किये जा रहे हैं।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, रॉची।